न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 200/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/286)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. सतपाल सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3. वकील सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर।	1. हरजिन्द्र कौर उर्फ रानी पुत्री मलकीत सिंह पत्नी हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरमीत कौर पुत्री मलकीत सिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एस जे एम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर। 3. पवनदीप कौर पुत्री मलकीत सिंह पत्नी हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एस जे एम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर। 4. नसीब कौर पत्नी हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 5. परमजीत कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी भातीवाला, तहसील विजयनगर। 6. मनदीप कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भातीवाला, तहसील विजयनगर। 7. जसमीत कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एस जे एम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर। 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 03.07.2025

उपस्थितः 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण
2.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

---निर्णय---

दिनांकः 25.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 की माता जरनैल कौर के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में 381/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में 407/1549 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में दर्ज 556/691 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 के पिता मलकीत सिंह के नाम चक 32 एफ के खाता संख्या 32/32 में 395/1581 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 व 3 के पिता हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में 864/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में 1341/3098 हिस्सा, खाता संख्या 34/33 में 903/6323 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में 135/691 हिस्सा, खाता संख्या 65/63 में 1/9 हिस्सा, खाता संख्या 66/65 में 96/5413 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 में 873/2504 हिस्सा, खाता संख्या 125/117 में 0.506 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जरनैल कौर व मलकीत सिंह की मृत्यू के बाद उनके कुल चार वारिसान सतपाल सिंह, हरजिन्द्र कौर उर्फ रानी, गुरमीत कौर, पवनदीप कौर है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 व 3 के पिता की मृत्यू के पश्चात उनके कुल 6 वारिसान नसीब कौर, परमजीत कौर, मनदीप कौर, छिन्द्रपाल सिंह, जसमीत कौर, वकील सिंह है। हाकम सिंह व मलकीत सिंह दोनों सगे भाई थे दोनों भाईयों ने अपने जीवनकाल में अपने नाम की सम्पति का मौखिक विभाजन समस्त परिवार व वारिसान की सहमति से कर दिया था। जिसके अनुसार हाकम सिंह की मृत्यू के पश्चात हाकम सिंह की समस्त भूमि उसके दोनों पुत्रो छिन्द्रपाल सिंह व मलकीत सिंह को प्राप्त होना तय पाया गया था और मलकीत सिंह की मृत्यू के पश्चात मलकीत सिंह की समस्त भूमि उसके एकमात्र पुत्र सतपाल सिंह को प्राप्त होना तया पाया गया था। अपने पूर्वजों की इच्छा अनुसार वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में उनके कब्जा काश्त की भूमि मृतक मलकीत सिंह, हाकम सिंह व जरनैल कौर के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है और प्रतिवादीगण उक्त वादीगण के हिस्सा अनुसार उनके नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर रहे है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 की माता जरनैल

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कौर के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में दर्ज 381/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में 407/1549 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व वादी संख्या 1 के पिता मलकीत सिंह के नाम चक 32 एफ के खाता संख्या 32/32 में दर्ज 395/1581 हिस्सा का वादी संख्या 1 सतपाल सिंह को खातेदार घोषित किया जावे व वादी संख्या 2 व 3 के पिता हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/33 में 903/6323 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में 135/691 हिस्सा, खाता संख्या 65/63 में 1/9 हिस्सा, खाता संख्या 66/65 में 96/5413 हिस्सा, खाता संख्या 125/117 में 0.506 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 छिन्द्रपाल सिंह को घोषित किया जावे तथा वादी संख्या 2 व 3 के पिता हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में 864/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में 1341/3098 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 में 873/2504 हिस्सा भूमि का खातेदार वादी संख्या 3 वकील सिंह को घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से जवाबदावा मय समझौतानामा पेश किया। जवाबदावा मय समझौतानामा के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार जाकर अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर मृतक जरनैल कौर के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में दर्ज 381/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में दर्ज 407/1549 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में दर्ज 556/691 हिस्सा व मृतक मलकीत सिंह के नाम चक 32 एफ के खाता संख्या 32/32 में दर्ज 395/1581 हिस्सा का खातेदार वादी संख्या 1 सतपाल सिंह पुत्र मलकीत सिंह को व मृतक हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/33 में दर्ज 903/6323 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में दर्ज 135/691 हिस्सा, खाता संख्या 65/63 में दर्ज 1/9 हिस्सा, खाता संख्या 66/65 में दर्ज 96/5413 हिस्सा, खाता संख्या 125/117 में दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 छिन्द्रपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह को तथा मृतक हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में दर्ज 864/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में दर्ज 1341/3098 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 में दर्ज 873/2504 हिस्सा भूमि का खातेदार वादी संख्या 3 वकील सिंह पुत्र हाकम सिंह को घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सतपाल सिंह आदि बनाम हरजिन्द्र कौर उर्फ रानी आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर 200/2025
निर्णय दिनांक :-25.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर मृतक जरनैल कौर के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में दर्ज 381/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में दर्ज 407/1549 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में दर्ज 556/691 हिस्सा व मृतक मलकीत सिंह के नाम चक 32 एफ के खाता संख्या 32/32 में दर्ज 395/1581 हिस्सा का खातेदार वादी संख्या 1 सतपाल सिंह पुत्र मलकीत सिंह को व मृतक हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/33 में दर्ज 903/6323 हिस्सा, खाता संख्या 37/36 में दर्ज 135/691 हिस्सा, खाता संख्या 65/63 में दर्ज 1/9 हिस्सा, खाता संख्या 66/65 में दर्ज 96/5413 हिस्सा, खाता संख्या 125/117 में दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 छिन्द्रपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह को तथा मृतक हाकम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/8 में दर्ज 864/6197 हिस्सा, खाता संख्या 28/25 में दर्ज 1341/3098 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 में दर्ज 873/2504 हिस्सा भूमि का खातेदार वादी संख्या 3 वकील सिंह पुत्र हाकम सिंह को घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 28.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर))

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर))

दिनांक: 28.07.2025

क्रमांक: रीडर/2025/560

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर))

Scanned with OKEN Scanner